U GRO CAPITAL

यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	1. ब्राइट वैस्टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2. प्रेम किशन सिंह 3. धनविजय सिंह लैन –HCFDeLMLN00001045493	डिमांड नोटिस की तिथि: 22/04/2025 नोटिस की राशि: रु. 2,865,437 22/04/2025 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण:– निर्माता: JYYAUTOMATION TECHNOLOGIES PVT LTD. मॉडल: YAMAHAUSED PICK – PLACE MACHINE YG200 टैक्स इनवॉयस: 0335-JYY/22-23

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: गौतम बुद्ध नगर–नोएडा–उत्तर प्रदेश हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 08/05/2025 यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com

U GRO CAPITAL

यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	1. आशीष इंटरप्राइज 2. राम तीरथ पटेल 3. शकुंतला लैन – UGDeLMC0000019407, UGDeLMC0000038465	डिमांड नोटिस की तिथि: 22/04/2025 नोटिस की राशि: रु. 4,027,404/– 16/04/2025 तक

सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण:– निर्माता: इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीनें, मॉडल: **P91080437248400n** इंजन मोल्डिंग मशीन **E–080b-0437**, ठाठ मशीन आंतरिक सीरियल नंबर: **Ep00800246** मशीन सीरियल नंबर: 7844 8477 10 00 कर चालान: डी2327101935 निर्माता: **S&T** प्लास्टिक मशीनें प्राइवेट लिमिटेड, मॉडल: **Stm/Pmd/V160/590/Std/T2h/Stm** ब्रांड स्टैंडर्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मॉडल **V160/590 (Tech2h)** मानक सहायक उपकरण के साथ कर चालान: 232400658

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: गौतम बुद्ध नगर–नोएडा–उत्तर प्रदेश हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 08/05/2025 यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा कार्यालय: प्रथम तल, विजया बैंक बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना सरफैसी अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत

आप नीचे वर्णित कर्जदार ने अनुसूची उल्लिखित सम्पत्ति गिरवी रखकर ऋण लिया है और नीचे वर्णित आप ऋण अनुबन्ध हेतु कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के रूप में रहे। आप द्वारा चूक किये जाने के परिणामस्वरूप आपके खाते को प्रतिभूत हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम) के तहत गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** ने आप द्वारा प्रदत्त पते पर प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13(13) के तहत माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की सामग्री यह है कि आपने आपको गारंटीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की थी। अतः वर्तमान प्रकाशन सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के सन्दर्भ के रूप में निकाली गयी हैं।

ऋण खाता सं./कर्जदार(रों) सहकर्जदार(रों), गारंटर(रों) तथा बंधककर्ता(ओं) के नाम तथा पता	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि
ऋण खाता संख्या – **ABNDLAP000000536241,** 1. मेसर्स सी. ग्रुप, इसके प्रोपराइटर लाल बाबू यादव के माध्यम से, ऊपरी तल, ए-53, सेक्टर- 85, फरीदाबाद- 121004, इसके अतिरिक्त – मकान नं.- 109, आई ब्लॉक, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, आइडियल पब्लिक स्कूल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003. इसके अतिरिक्त – तृतीय तल, सी-214, पुल पहलादपुर, एम.बी. रोड, नई दिल्ली- 110044। साथ ही – डी2-26, ब्लॉक-डी, पार्कलैंड्स, सेक्टर-85, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005, 2. लाल बाबू यादव, मकान नं.- 109, आई ब्लॉक, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, आइडियल पब्लिक स्कूल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003, साथ ही – डी2-26, ब्लॉक-डी, पार्कलैंड्स, सेक्टर-85, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005, 3. किरण, मकान नंबर 127, सुभाष कॉलोनी, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003, साथ ही – मकान नं.- 109, आई ब्लॉक, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, आइडियल पब्लिक स्कूल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003	26.04.2025 एनपीए तिथि 15 अप्रैल, 2025	**16.04.25 तक** रु. 2,09,92,931.18/- (रुपये दो करोड़ नौ लाख बानवे हजार नौ सौ इकतीस और अठारह पैसे मात्र)

प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण : अग्रलिखित का समस्त भागः आवासीय प्लॉट नंबर डी2-26, ब्लॉक डी, जिसका माप 291.806 वर्ग मीटर (349 वर्ग गज) है, जिसे पार्कलैंड के रूप में जाना जाता है, सेक्टर -85, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। इसके साथ संलग्न ईजमेंट और साथ में अन्य सभी इमारतें और संरचनाएं जो वहां स्थित हैं और बनाई जानी हैं और सभी फिटिंग्स, फिक्सचर, प्लांट और मशीनरी जो धरती से जुड़ी हैं या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान और भावी दोनों।

आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को ब्याज और लागत सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** कर्जदार/ सह-कर्जदार/ बंधककर्ता की प्रतिभूत संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूत संपत्तियों के खिलाफ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं (1) कर्जदार/ सह-कर्जदार / बंधककर्ता की प्रतिभूत संपत्तियों को कब्जे में लेने की शक्ति, जिसमें प्रतिभूत संपत्तियों को जारी करने के लिए पट्टे, बिक्री के असाइनमेंट के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार शामिल हैं (2) पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लें और प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के रूप में किसी भी हस्तांतरण में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में सभी अधिकार और संबंध निहित होंगे, जैसे कि हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** की पूर्व सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) ऊपर संदर्भित और दृष्टिबंधक/बंधक किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को **आदित्य बिरिया कैपिटल लिमिटेड** को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांक : 08.05.2025, स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा **अधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate

15 दिवसीय बिक्री सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय : बी-35, साइबर मीडिया बिल्डिंग, सेक्टर- 32, गुड़गांव- 122022

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (रों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा संबंधित केनरा बैंक शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित विवरणों के साथ आयोजित ई–नीलामी के तहत बेचा जाएगा।

ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 21.05.2025 को सायं 5.00 बजे (ऑफलाइन या ऑनलाइन)

ई–नीलामी की तिथि 23.05.2025 को अपराह्न 12:30 से अपराह्न 1:30 बजे तक है।

(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)

शाखा का नाम / ईमेल / दूरभाष सं.	चल / अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	निर्दिष्ट तिथि पर कुल देयताएँ	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (रु. में)	खाता सं. के विवरण / आईएफएससी कोड / कब्जे का प्रकार
केनरा बैंक पुन्हाना होडल रोड शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस राजंगम (मो.) 7082009439, 7082009432, ईमेल cb18225@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.in के माध्यम से	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग गज है, जिसमें खेवट संख्या 68/84, रेक्ट संख्या 12, किला संख्या 22/2(4–17) का 5/194 हिस्सा है, जो ग्राम पटकपुर, उप–जिला पुन्हाना, जिला मेवात की राजस्व संपदा के भीतर स्थित है, जिसका स्वामित्व श्रीमती रहिसन के पास है। उत्तर: शेर मोहम्मद की जमीन, दक्षिण: रहीसन की जमीन, पूर्व: सड़क, पश्चिम: रास्ता और नाला। उधारकर्ता: कुमारी जीनत पुत्री श्री शेर मोहम्मद गांव पटकपुर, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा –122508 श्री जाफरूदीन पुत्र श्री यासीन मकान संख्या 20, वार्ड संख्या 10, ढाणी पटपर्यस, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा–122508 श्रीमती रहीसन पत्नी श्री शेर मोहम्मद वार्ड नं. 02, गांव– पटकपुर, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा–122508 श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद वार्ड नं. 2, गांव पटकपुर, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा–122508	05.09.2022 को कुल देयताएँ : रु. 11,01,947/– प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 8,41,000/– / रु. 84,100/–	209272434 / CNRB0018225 / सौंकेतिक
केनरा बैंक सोहना चौक सोहना शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7496973044, ईमेल cb18215@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.in के माध्यम से	20.63 वर्ग गज की व्यावसायिक दुकान, नए वार्ड नं. 18, ग्राउंड फ्लोर, जैन मंदिर के पास, लोहियावाड़ा, सोहना–122103 उत्तर–पश्चिम: सड़क दक्षिण–पूर्व: अन्य संपत्ति उत्तर–पूर्व: अन्य दुकान दक्षिण–पश्चिम: अन्य दुकान उधारकर्ता: 1) सुश्री प्राची ट्रेडर्स प्रोप. श्री विश्वनाथ वर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार वर्मा वार्ड नं. 15, सोहना–1221032. श्री विश्वनाथ वर्मा (संपत्ति) श्री अशोक कुमार वर्मा के पुत्र, वार्ड नं. 15, लोहियावारा, सोहना–122103 3. श्री समीर वर्मा (गारंटर) श्री विश्वनाथ वर्मा के पुत्र, वार्ड नं. 15, लोहियावारा, सोहना–122103	02.04.2024 को कुल देयताएँ : रु. 13,93,791.17 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 14,54,000/– / रु. 1,45,400/–	209272434 / CNRB0018215 / भौतिक
केनरा बैंक रेजेंद्र पार्क शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 9971515056, ईमेल बइ5056/बंदंतंइंदावबवउए हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.in के माध्यम से	श्री ओम प्रकाश के नाम पर गुरुग्राम के विष्णु गार्डन (राजेंद्र पार्क) में स्थित खेवट नं. 1613 और खसरा नं. 11052/10258, बजघेड़ा रोड, चिराग अस्पताल के पास स्थित 105 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मकान नं. 3223/31 की ईएमटी। संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: गली दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: जय भगवान का मकान पश्चिम: जितेंद्र का मकान उधारकर्ता: 1) मैसर्स श्री हरि इंजीनियरिंग वर्क्स (उधारकर्ता) प्रोपराइटर– श्री जसबीर पुत्र श्री। ओम प्रकाश न्यू पालम विहार, सराय अलावर्दी चौक बजघेरा रोड, गुड़गांव हरियाणा 122006 2. श्री जसबीर पुत्र श्री ओम प्रकाश (मालिक) आरआईओ एच नंबर 3223, वार्ड नंबर–1 विष्णु गार्डन, गुड़गांव–122006 3. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम चंद्र (गारंटर) एच नंबर 3223, वार्ड नंबर –31 विष्णु गार्डन, गुड़गांव हरियाणा 122006	03.05.2025 को कुल देयताएँ : रु. 16,26,309.92 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 64,33,000/– / रु. 6,43,300/–	209272434 / CNRB0005056 / सौंकेतिक
केनरा बैंक हैली मंडी शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7082009430, ईमेल cb2041@canarabank.com हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	खेवट नंबर 880, खाता नंबर 932, खसरा नंबर 235/1/2 (2–19),1194 (0–2) में शामिल भूमि में 1/4वीं हिस्सेदारी के एसआरएम के माध्यम से पहला प्रभार, कुल माप 03 कनाल और 01 मरला, गैर मुमकिन यानी गैर गाँव जटौली, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव –122504 की राजस्व संपदा के भीतर स्थित कृषि भूमि। संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: अन्य संपत्ति दक्षिण: अन्य संपत्ति + सड़क पूर्व: सड़क लगभग 40 फीट पश्चिम: अन्य संपत्ति उधारकर्ता: 1) मैसर्स अरविंद इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री विक्रांत चौहान) खंडेवला मोड़, बीपीओ जटौली हैली मंडी, गुड़गांव–122504, श्री आकाश चौहान (गारंटर) हाउस नंबर 85, वार्ड नंबर 10 वीपीओ–जटौली, हैली मंडी, गुड़गांव –122504 श्रीमती सुषमा देवी (गारंटर) नंबर 10, बीपीओ–जटौली हैली मंडी, गुड़गांव – 122504	04.07.2024 को कुल देयताएँ : रु. 20,54,086.35 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 84,06,000/– / रु. 8,40,600/–	209272434 / CNRB0002041 / सौंकेतिक
केनरा बैंक एसएमई तावरू शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7096973043, ईमेल : cb18213@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	खेवट नंबर 620, रेक्ट नंबर 82, किला नंबर 4/2 (6–17) में शामिल संपत्ति का वह हिस्सा जो 90.75 वर्ग गज की दूरी पर स्थित है, जो टौरू, तहसील टौरू, जिला मेवात, हरियाणा की नगरपालिका सीमा में है और जिसका स्वामित्व अशोक कुमार शर्राना के पास है। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है: उत्तर: रास्ता आम दक्षिण: सुरेन्द्र कुमार का घर पूर्व: छोटू का प्लॉट पश्चिम: राजेश का प्लॉट उधारकर्ता: 1) श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा, जीवन ज्योति क्लीनिक के सामने, पुलिस स्टेशन रोड के सामने, तौरू मेवात, हरियाणा– 122105 2. श्री किशन तनेजा पुत्र श्री चंदर भान (गारंटर) सुभाष मार्केट के पीछे, तौरू, मेवात– 122105	29.08.2022 को कुल देयताएँ : रु. 11,47,262/– प्लस भावी ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 17,85,000/– / रु. 1,78,500/–	209272434 / CNRB0018213 / सौंकेतिक
केनरा बैंक पुन्हाना शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7082009431, ईमेल : cb2053@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	ग्राम रनियाला खुर्द, तहसील हथीन, जिला–पलवल 122103 की राजस्व संपत्ति के भीतर खसरा नंबर 224(1–0), 585(0–2) वाली 685.50 वर्ग गज भूमि; उधारकर्ता : मैसर्स हरियाणा ऑटोमोबाइल्स (प्रॉपर हारून खान के माध्यम से) (उधारकर्ता) जुरहेरा मोड़, पुन्हाना नूंह, हरियाणा– 122508, हारुन खान पुत्र स्व. सुलेमान (मालिक सह बंधककर्ता) उमर मोहम्मद पुत्र सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) असरुद्दीन पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) साहून पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) जफरुद्दीन पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) लियाकत अली पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) सभी निवासी ग्राम– रनियाला खुर्द, तहसील हथीन जिला पलवल, हरियाणा– 121103	16.05.2024 को कुल देयताएँ : रु. 12,51,713.94 प्लस भावी ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 15,20,000/– / रु. 1,52,000/–	209272434 / CNRB0002053 / सौंकेतिक
केनरा बैंक डीएलएफ फेज–।।।, गुड़गांव शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7496918181, ईमेल : cb18181@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	आरजी गाटा संख्या 384, खाता संख्या 0071 का डेढ़ हिस्सा ग्राम डूडा महुआ, परगना, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में स्थित है, जिसकी माप 1.390 हेक्टेयर है और यह तहसील–रसूलाबाद के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत है, सीमा– उत्तर: सड़क दक्षिण: नाला पूर्व: आराजी नंबर 384 का शेष भाग पश्चिम: ब्रज राज सिंह की भूमि। उधारकर्ता : मैसर्स मुन्नी देवी शिक्षा समिति ग्राम – डुंडा महुवा, रसूलाबाद, कानपुर देहात – 211326 श्री। रमन कुमार राठौड़ यू–69/19, कमरा नंबर 10, डीएलएफ फेज–।।।, गुड़गांव –122002 श्री अमन कुमार राठौड़ यू–69/19, कमरा नंबर 10, डीएलएफ फेज–।।।, गुड़गांव – 122002 श्री राम कुमार हाउस नंबर 610, इंदरगढ़, तह– तिर्वा, जिला–कन्नौज, उत्तर प्रदेश – 209728 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री राम कुमार, मकान नं. 610, इंदरगढ़, तहसील– तिरवा, जिला–कन्नौज, उत्तर प्रदेश – 209728	22.05.2019 को कुल देयताएँ : रु. 72,66,232.42 प्लस भावी ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 4,09,00,000/– / रु. 40,90,000/–	209272434 / CNRB0018181 / सौंकेतिक

अन्य नियम एवं शर्तें :

क) संपत्ति/संपत्तियों को "जैसी है, जैसी है" स्थिति में बेचा जाएगा, यदि कोई हो तो उस पर कोई भार भी शामिल होगा। (बैंक के ज्ञान में कोई भार नहीं है। भार के विवरण के लिए, नीचे दिए गए 7(घ) में उल्लिखित बयाना राशि जमा करने से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें)।
ख) संपत्ति/संपत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
ग) संपत्ति का निरीक्षण 19.05.2025 को सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
घ) इच्छुक बोलीदाता 21.05.2025 को शाम 05.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक के पक्ष में डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य की 10% बयाना राशि जमा करेंगे।
ङ) सुरक्षित लेनदार द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन, सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाएगी।
च) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25: (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बिक्री होने पर तुरंत जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
छ) सभी कंवेयंस, स्टांप शुल्क और पंजीकरण आदि के लिए लागू शुल्क केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे।
ज) रुपये 50 (पचास) लाख से अधिक की बिक्री आय के लिए, बिक्री राशि का 1% की दर से टीडीएस देय होगा, जो सफल खरीदार द्वारा अलग से देय होगा।
झ) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित / रद्द करने या उन्हें बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनांक : 08/05/2025 स्थान– गुड़गांव **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा "ए" क्रॉस, 18वां मुख्य, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560095
क्षेत्रीय कार्यालयः– जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (यूपी)
शाखा कार्यालयः उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी शाखाएँ बूंदी, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा में हैं।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" यहां निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित की जाएगी।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13–2 नोटिस एवं मांग राशि की तिथि	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य का 10प्रतिशत)	ई- नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण (ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा)
1	2288210170000015	1.लाडू गुर्जर पुत्र चोगा गुर्जर 2.प्रेम गुर्जर पत्नी लाडू गुर्जर	15.07.2021 रु. 4,60,191/–	08.04.2025	रु. 8,15,214.95/- 20.04.2025 तक	25–मई 2025 दोपहर 02.00 बजे	रु. 7,58,000/–	रु. 75,800/–	20–जून–2025 दोपहर 12.00 बजे से 12.30 बजे तक	19–जून–2025 शाम 04.00 बजे	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है भीलवाड़ा शाखा स्थित:– दुकान नं. 3 और 4, श्री महालक्ष्मी चेम्बर्स, पुर रोड (पुराना आर.टी.ओ. रोड), एलजी शोरूम के बगल में, गांधी नगर, भीलवाड़ा – 311001
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		आवासीय भवन पट्टा संख्या 27, प्लॉट संख्या शून्य, ग्राम लापिया, ग्राम पंचायत बबराना, पंचायत समिति बनेरा, भीलवाड़ा, राजस्थान, की भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1820 वर्ग फीट है साथ ही भवन, संरचनाएं और उस पर किए गए सभी सुधार। सीमाएं: पूर्वः जामनी की संपत्ति, पश्चिमः भंवर की संपत्ति, उत्तरः बालू की संपत्ति, दक्षिणः सड़क									
2	223276300000011	1. गौतम कुमार पुत्र तारकेश्वर चौरसिया 2. श्रीमती पूनम कुमार पत्नी गौतम कुमार 3. श्री. गोविंदा चौरसिया पुत्र तारकेश्वर चौरसिया	23.07.2021 रु. 2,34,611/–	22.11.2023	रु. 5,20,327.80/- 16.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 6,80,000/–	रु. 68,000/–	27–मई–2025 दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	26–मई 2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्जवजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में जोधपुर शाखा में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी:– प्लॉट नं. 47, महादेव टॉवर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी–3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चोपासनी रोड, बलदेव नगर, जोधपुर – 342003
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		फ्लैट नं. एच 74/06, प्रथम तल, क्षेत्रफल 412 वर्ग मीटर, भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा फीट, प्लॉट नंबर 25,34,35,36,42,45,46,47,48,49,50,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 67,68,69, 70,71, 72,73,74,75,76,77,78 खसरा नंबर 177, 179/2, से 179/13, 59,59/1, 59/2,61,61/1,61/2, 63,63/1,63/2, गांव तनावड़ा और भाखरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर – राजस्थान, जो इस प्रकार घिरा हुआ है: सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट नंबर 67, पश्चिमः रास्ता 30 फीट, उत्तरः प्लॉट नंबर 73, दक्षिण :प्लॉट नं. 75									
3	2224210170000016	1.श्री राम सहाय बुलिवाल पुत्र केसरी लाल, 2.श्री. बलराम बुलिवाल पुत्र रामसहाय बुलिवाल	28.10.2021 रु. 4,40,676/–	24.08.2024	रु. 10,63,565.39/- 16.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 5,04,000/–	रु.50,400/–	27–मई–2025 दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटा के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी शाखा स्थित है:– प्लॉट नंबर–6, झालावाड़ रोड, चौराहा, छावनी के पास, कोटा, राजस्थान –324007
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा, आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 765 वर्ग फीट है, पट्टा संख्या 5413, गांव महरमपुरा, तहसील बूंदी, राजस्थान में स्थित है, जिसमें इमारतें, संरचनाएं और सभी सुधार शामिल हैं, जो इस प्रकार से घिरा हुआ है: सीमाएं: पूर्वः रामहेत पुत्र छोटू का घर, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः श्रीमती सुमन पत्नी रामसहाय का घर। दक्षिणः बरसराम की भूमि भंवरलाल पुत्र									
4	222576100000034	1. विक्रम सिंह भट पुत्र राम सिंह 2. राम सिंह पुत्र प्रहलाद	30.06.2021 रु. 3,28,583/–	27.10.2022	रु. 8,24,395.46/- 16.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 3,03,000/–	रु.30,300/–	27–मई–2025 दोपहर 2.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी बूंदी शाखा में स्थित है:– प्लॉट नंबर– 1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान –323001
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 2534 की भूमि और भवन का वह पूरा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 595 वर्ग फीट है। गांव– सथूर, तहसील– हिंडोली, और जिला– बूंदी, राजस्थान में स्थित है, जिसमें इमारतें, संरचनाएं और उस पर सभी सुधार शामिल हैं। सीमाएं:– उत्तरः– स्वयं की संपत्ति, दक्षिणः– सार्वजनिक सड़क, पूर्व :– सार्वजनिक सड़क, पश्चिः– बहादुर सिंह का घर									
5	2225210170000002	1.महावीर प्रसाद बैरवा पुत्र लटूर लाल बैरवा 2.सुंदर बाई पत्नी लटूर लाल बैरवा	18.04.2023 रु. 2,98,438,73/-	23.08.2024	रु. 5,65,412.65/- 16.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 5,91,000/–	रु.59,100/– 27–मई–2025 3.00 बजे से 3.30 बजे	27–मई–2025 दोपहर 2.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक	26–मई–2025 04.00 बजे	बूंदी शाखा में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडीः– प्लॉट नं. –1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान –323001
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा पट्टा संख्या 5410, खसरा संख्या 78/1012, 750 वर्ग फीट अजेता तहसील–बूंदी, राजस्थान में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैरू सीमाएँ: पूर्वः स्वयं की भूमि, पश्चिमः रामप्रकाश का घर, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सूरजमल का घर									
6	2224210170000032	1.शिवराज पुत्र बंशी लाल, 2.ममता बाई पत्नी शिवराज	28.12.2022 रु. 10,69,234/-	24.08.2024	रु. 14,73,700.87/- 16.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 7,39,000/–	रु. 73,900/–	27–मई–2025 शाम 4.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटा के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी शाखा स्थित है:– प्लॉट नंबर–6, झालावाड़ रोड, चौराहा, छावनी के पास, कोटा, राजस्थान –324007
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा पट्टा संख्या 12255, क्षेत्रफल 886 वर्ग फीट, ग्राम बजाड़, तह. तलेरा जिला बूंदी (खसरा संख्या 386 का हिस्सा) जो इस प्रकार घिरा हुआ है: सीमाएं: पूर्वः पप्पू का घर, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः प्रकाश का घर, दक्षिणः नंदकिशोर का घर									
7	2224210040000012	1.श्री. अशोक बैरवा पुत्र रामस्वरूप बैरवा, 2.श्रीमती मीरा बाई पत्नी रामस्वरूप बैरवा 3. श्री. रामस्वरूप बैरवा पुत्र श्री रामनाथ बैरवा	24.03.2023 रु. 3,00,339.16/-	20.11.2024	रु. 5,11,506.37/- 27.12.2024 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 385000/–	रु. 38500/–	27–मई–2025 शाम 5.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटा के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी शाखा स्थित है:–प्लॉट नंबर 6, झालावाड़ रोड, छावनी चौराहा के पास, कोटा, राजस्थान– 324007
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		वह समस्त संपत्ति का हिस्सा और पार्सल पट्टा संख्या 13, खसरा संख्या 38, क्षेत्रफल 625 वर्ग फीट, गांव– मोतीपुरा, तहसील और जिला बूंदी, राजस्थान में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: सीमाएं: पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः कैलाश पुत्र रामनाथ बैरवा का मकान, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः रघुवीर पुत्र रामनाथ बैरवा का मकान									
8	2225210170000066	1. श्री दुर्गा लाल लोधा पुत्र माधो लाल लोधा 2. श्री माधो लाल लोधा पुत्र हरदेव लोधा	24.03.2023 रु. 3,33,228.08/-	07.11.2024	रु. 5,45,967.62/- (26.11.2024 तक)	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 679000/–	रु. 67900/–	27–मई–2025 दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी बूंदी शाखा में स्थित है:– प्लॉट नंबर– 1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान –323001
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और पार्सल पट्टा संख्या 515, खसरा संख्या 403 का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट है, जो गांव– नया धागरिया, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी – राजस्थान में स्थित है, जो इस प्रकार घिरा हुआ है: पूर्वः खुली भूमि (माधो/हरदेव), पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क									
9	2225210040000005	1.ओम प्रकाश रेगर पुत्र नारायण 2.मनफुला पत्नी ओम प्रकाश रेगर	23.12.2022 रु. 2,15,612.39/-	22.11.2024	रु. 3,60,107.30/- (23.12.2024 तक)	20–मई 2025 दोपहर 02.00 बजे	रु. 497000/–	रु. 49700/–	27–मई–2025 दोपहर 2.00 बजे से 2.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी बूंदी शाखा में स्थित है:–प्लॉट नं.– 1, न्यू कॉलोनी, ओप. सर्किट हाउस, बूंदी, राजस्थान –323001
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		पट्टा संख्या 2864 ग्राम नारायणपुर तह हिंडोली जिला बूंदी की संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 630 वर्ग फीट है (खसरा संख्या 429 का हिस्सा) जिसकी सीमा इस प्रकार हैरू सीमाः पूर्वः सूरजमल का घर, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः नारायण का घर, दक्षिणः स्वयं की भूमि (मनफुला बाई)									
10	223276200000008	1. श्री मोहम्मद रफीक पुत्र जहूर मोहम्मद 2. श्रीमती मोबिना बानो पत्नी मोहम्मद रफीक	20.07.2021 रु. 6,92,564/–	26.09.2023	रु. 12,75,564.03/- 20.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 7,71,000/–	रु. 77,100/–	27–मई–2025 3.00 बजे से 3.30 बजे तक	26–मई–2025 04.00 बजे	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी जोधपुर शाखा में स्थित है:– प्लॉट नं. 47, महादेव टॉवर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी–3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चोपासनी रोड, बलदेव नगर, जोधपुर – 342003
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		फ्लैट नं. एच 77/01, ग्राउंड फ्लोर, क्षेत्रफल 395 वर्ग मीटर की भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा। फीट, प्लॉट नंबर 25,34,35,36,42,45,46,47,48,49,50,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78 खसरा नंबर 177, 179/2, से 179/13, 59,59/1, 59/2,61,61/1,61/2, 63,63/1,63/2, गांव तनावड़ा और भाकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर – राजस्थान, जो इस प्रकार घिरा हुआ है: सीमाएं: पूर्वः प्लॉट नंबर 64, पश्चिमः रास्ता 30 फीट, उत्तरः प्लॉट नंबर 76, दक्षिण : प्लॉट नं. 78									
11	2221210170000023	1.सज्जन सिंह पुत्र बिरम सिंह जी 2.संतोष पत्नी सज्जन सिंह	28.12.2022 रु. 6,42,582.40/-	21.12.2024	रु. 9,80,188.82/- (27.01.2025 तक)	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 674000/–	रु. 67400/–	27–मई–2025 4.00 बजे से 4.30 बजे तक	26–मई–2025 04.00 बजे	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी अजमेर शाखा में स्थित है:–ए.एम.सी., 32/3=32/3ए=369/29, भूतल और प्रथम तल, ब्यावर रोड, मार्टिंडेल ब्रिज के पास, अजमेर – 305001
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		ग्राम पंचायत समिति–श्रीनगर, तहसील–नसीराबाद और जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित 117.33 वर्ग गज, पट्टा संख्या 03 खसरा संख्या 2839 में आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल, जिसकी सीमा इस प्रकार है: सीमाः पूर्वः पुना का घर, उत्तरः माडू का घर, पश्चिमः सड़क, दक्षिणः स्व. बारा									
12	223276300000012	1.लकी पुत्र लक्ष्मण दास 2.माला देवी पत्नी लक्ष्मण दास	27.12.2019 रु. 10,77,056/-	14.10.2022	रु. 23,17,031.27/- 17.04.2025 तक	20–मई 2025 02.00 अपराह्न	रु. 8,84,000/–	रु. 88,400/–	27–मई–2025 शाम 5.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक	26–मई–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी जोधपुर शाखा में स्थित है:–प्लॉट नं.47, महादेव टॉवर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी–3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चोपासनी रोड, बलदेव नगर, जोधपुर – 342003
		संपर्क नंबर : 9950437507, 9983365566									
		412 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली वह पूरी जमीन और इमारत जो फ्लैट नंबर के–101 (1बीएचके) में स्थित है, जो पहली मंजिल प्लॉट नंबर 136–137, खं. 679, 679/1, 680, 681, 681/1, 682, 683 और 684, डाली बाई सर्किल के पास, झंवर रोड, गांव चोखा, तहसील और जिला जोधपुर, इमारतों, संरचनाओं और उन पर सभी सुधारों के साथ। सीमाएं: पूर्वः सड़क के लिए खुला, पश्चिमः फ्लैट नंबर के–103, उत्तरः फ्लैट नंबर जे–102, दक्षिणः फ्लैट नंबर के–102।									

नियम एवं शर्तेः–

ई–नीलामी "जहां है, जैसा है" "जो है, जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/पट्टों के शीर्षक तथा संपत्ति पर होने वाले दावोंध्अधिकारोंध्बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और खुद को संतुष्ट करें। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. ई–नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता– मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति – श्री प्रभाकरन (मो. नं. 7418281709)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट में संपत्तियों के विवरण के लिए https://www.bankeauctions.com या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाएं और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर–आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडीः– **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोर्टल – https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक है।
6. सफल बोली लगाने वाले की ईएमडी आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25प्रतिषत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75प्रतिषत बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या किसी भी मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में और पूरी तरह से उसके विवेक पर सहमत 3 महीने से अधिक नहीं की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूक करने वाले क्रेता के पास संपत्तिध्राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन बलपूर्वक रद्द करने के खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूकध्विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैक–अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

यह उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में भी एक सूचना है।

दिनांकः 08..05.2025, अधिकृत अधिकारी,
स्थानः नोएडा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक